रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 1972/फाल्गुन 27, 1893
No. 79] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 1972/PHALGUNA 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1972

G.S.R. 195(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, namely:—

1. (1) This Order may be called the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order 1970, for item "I. Basic ceiling selling prices of kerosene in bulk per kilolitre ex-storage points" and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"I.—*Basic ceiling selling prices of kerosene in bulk per kilolitre ex-storage points.*

Port/Refinery	Superior Kerosene	Inferior Kerosene	Aviation Turbine Fuel
	Rs.	Rs.	Rs.
(a) Kandla	563·39	309 03	533·27
(b) Okha	564·60	310·25	538·30
(c) Bombay/Koyali	560·23	305·87	535·67
(d) Goa	562·03	307·70	535·53
(e) Cochin	562·76	308·40	..
(f) Madras	570·65	316·39	555·03
(g) Vizag	568·03	313 75	548 46
(h) Calcutta/Digboi/Gauhati/Barauni	574·81	320·69	553·86"

[No. F. J-11 O. 12/1/72-PPD]

S. D. BHAMBRI, Jt. Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1972

सा०का०नि० 195(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिट्टी का तेल (अधिकतम कीमतों का नियतन) आदेश, 1970 का और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) यह आदेश मिट्टी का तेल (अधिकतम कीमतों का नियतन), संशोधन आदेश 1972 कहा जा सकेगा ।]

(ii) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. मिट्टी का तेल (अधिकतम कीमतों का नियतन) आदेश, 1970 की अनुसूची में मद, "I भंडार द्वार पर प्रपुंज मिट्टी के तेल की प्रति किलोलीटर आधारित अधिकतम विक्रय कीमतों" तथा उसके अन्तर्गत प्रविष्ठियों के स्थान पर निम्न मद प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"I. भंडार द्वार पर प्रपुंज मिट्टी के तेल की प्रति किलो लीटर आधारिक अधिकतम विक्रय कीमतें ।

पतन/परिष्करणी	मिट्टी का तेल बढ़िया	मिट्टी का तेल घटिया	विमानन टरबाइन ईंधन
(क) कांडला	563.39	309.03	533.27
(ख) ओखा	564.60	310.25	538.30
(ग) बम्बई/कोयाली . . .	560.23	305.87	535.67
(घ) गोआ	562.03	307.70	535.53
(ङ) कोचीन	562.76	308.40	—
(च) मद्रास	570.65	316.39	555.03
(छ) विशाखापटनम . . .	568.03	313.75	548.46
(ज) कलकत्ता/डिग्बोई/गोहाटी/बरौनी . .	574.81	320.69	553.86"

[संख्या एफ० जे०—11 ओ० 12/1/72-पी०पी०डी०]

स० दे० आम्बरी,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972